रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2009/कार्तिक 1, 1931

No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2009/KARTIKA 1, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

फा. सं. एल-7/138(153)/2008-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 10 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन कंपनियों द्वारा तकनीकी ब्यौरों का प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. जानकारी का दिया जाना : प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जो इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट उत्पादन केंद्र का प्रचालन करती है तथा स्थापित करती है, उत्पादन केंद्र के प्रकार को यथा लागू इन विनियमों से संलग्न प्ररुप क, ख तथा ग में विहित अद्यतन ब्यौरे अपने स्वामित्वाधीन उत्पादन केंद्र के प्रत्येक प्रक्रम के लिए ऐसे ब्यौरों की साफ्ट प्रति सहित पृथक रूप से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक वर्ष के 1 अप्रैल तक की प्रास्थिति उपदर्शित करते हुए, आयोग को प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रारम्भ के पश्चात् उत्पादन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली उत्पादन कम्पनी की दशा में, विनिर्दिष्ट ब्यौरों के साथ पहली रिपोर्ट उसके द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादन केंद्र की पहली इकाई की प्रक्षेपित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के कम से कम तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./150/09]

प्ररुप - क

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुपालन में उत्पादन कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले तकनीकी ब्यौरे

कोयला/लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र

1	उत्पादन कंपनी का नाम तथा पता		
2	उत्पादन केंद्र का नाम		
3	उत्पादन केंद्र का अवस्थान (जिला तथा राज्य)		
4	प्रकार		कोयला/लिग्नाइट
5	विद्यमान/निष्पादनाधीन परियोजना की संस्थापित क्षमता तथा संरुपण (यूनिटों की संख्या x मेगावाट)		
(i)	यूनिट-1	मेगावाट	
(ii)	यूनिट-2	मेगावाट	
(iii)	....	मेगावाट	
(iv)	....	मेगावाट	
6	वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख यूनिट-वार :		दिन/मास/वर्ष
(i)	यूनिट-1		
(ii)	यूनिट-2		
(iii)	....		
(iv)	....		
7	प्रत्येक फायदाग्राही/प्रवर्ग के लिए संस्थापित क्षमता के प्रति निर्देश से प्रतिशतता अंश के साथ सहबद्ध फायदाग्राहियों/लक्ष्य		

	फायदाग्राहियों/व्यापारिक क्षमता के ब्यौरे		
(i)	फायदाग्राही-1	(%)	
(ii)	फायदाग्राही-2	(%)	
(iii)	....	(%)	
(iv)	....	(%)	
8	सहबद्ध पारेषण प्रणाली या प्रस्तावित निष्क्रमण व्यवस्था		
9	विनिर्माता का नाम		
(i)	स्टीम जनरेटर		
(ii)	स्टीम टर्बाइन		
(iii)	जनरेटर		
10	मुख्य ईंधन तथा स्रोत		.... देशी/आयातित
(i)	लिंक्ड खान		
(ii)	परिवहन की पद्धति		एमजीआर/सड़क/समुद्र/रेल-सह-समुद्र
11	प्रयुक्त ईंधन/प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन का कुल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी)	(केसीएएल/केजी)	
12	प्रयुक्त/प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित गौंण ईंधन		एलएसएचएस/एचएफओ/एचएसडी/अन्य
13	इनलैट से टर्बाइन तक रेटित मुख्य स्टीम दवाब	कि.ग्रा./सेमी2 (एबीएस)	
14	इनलेट से टर्बाइन तक रेटित मुख्य स्टीम तापमान	सेंटीग्रेट	
15	इनलेट से टर्बाइन तक रेटित स्टीम दवाब	कि.ग्रा./सेमी2 (एबीएस)	
16	इनलेट से टर्बाइन तक रेटित पुनः हीट स्टीम तापमान	सेंटीग्रेट	
17	विनिर्दिष्ट डिजाइन ईंधन की रेंज		

(i)	राख	(%)	
(ii)	आर्द्रता	(%)	
(iii)	कुल क्लोरोफिक मूल्य (जीसीवी)	(%)	
(iv)	वाष्पशील मेटर (वीएम)	(%)	
18	अभिदेश स्थिति के अंतर्गत गारंटीकृत टर्बाइन साइकल हीट रेट	(केसीएएल/ केडब्ल्यूएच)	
19	गारंटीकृत टर्बाइन साइकल हीट रेट के लिए अभिदेश स्थिति		
(i)	मेक अप	(%)	
(ii)	एमसीआर	(%)	
(iii)		सेंटीग्रेड	
20	गारंटीकृत बायलर दक्षता (जीसीवी आधार पर)	(%)	
21	गारंटीकृत बायलर दक्षता के लिए यथा विनिर्दिष्ट अभिदेश ईंधन		
(i)	राख	(%)	
(ii)	आर्द्रता	(%)	
(iii)	कुल क्लोरोफिक मूल्य (जीसीवी)	(केसीएएल/केजी)	
(iv)	वाष्पशील मेटर (वीएम)	(%)	
22	बायलर फीड पम्प की संख्या तथा प्रकार		स्टीम टर्बाइन चालक/विद्युत मोटर चालक
23	शीतलन जल का स्रोत		
24	प्रयुक्त शीतलन साइकल का प्रकार		एक बार थ्रो/बंद साइकल
25	शीतलन टावर का प्रकार		प्राकृतिक ड्राफ्ट/प्रवृत्त ड्राफ्ट

टिप्पण :

क	उत्पादन केंद्र, अर्थात् एफजीडी आदि की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी या कोई स्थल विनिर्दिष्ट जानकारी भी दी जा सकेगी ।
ख	"फायदाग्राही" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
ग	"संस्थापित क्षमता" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
घ	"व्यापारिक क्षमता" से बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो दीर्घ-कालिक ऊर्जा प्रदाय करार के माध्यम से बेची गई ऊर्जा से भिन्न हो ।
ङ	"लक्ष्य फायदाग्राही" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसकी उत्पादन कंपनी के साथ दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार किए जाने की संभावना हो ।
च	उपरोक्त ब्यौरों की साफ्ट प्रति (इलैक्ट्रानिक प्ररुप में) भी दी जाएगी ।

प्ररुप - ख

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसरण में उत्पादन कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले तकनीकी ब्यौरे

गैस/द्रव/डीजल उत्पादन केंद्र

2	उत्पादन कंपनी का नाम		
3	उत्पादन केंद्र का अवस्थान (जिला तथा राज्य)		
4	प्रकार		गैस/द्रव/डीजल
5	विद्यमान/निष्पादनाधीन परियोजना की संस्थापित क्षमता तथा संरुपण (यूनिटों की संख्या /मेगावाट)		
(i)	जीटी-1	मेगावाट	
(ii)	जीटी-2	मेगावाट	
(iii)	एसटी तथा ब्लाक - 1	मेगावाट	
(iv)	....	मेगावाट	

3832 GI/09—2

6	वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख यूनिटवार :		दिन/मास/वर्ष
(i)	जीटी-1		
(ii)	जीटी-2		
(iii)	एसटी तथा ब्लाक - 1		
(iv)	....		
7	प्रत्येक फायदाग्राही/प्रवर्ग के लिए संस्थापित क्षमता के प्रति निर्देश से प्रतिशतता अंश के साथ सहबद्ध फायदाग्राहियों/लक्ष्य फायदाग्राहियों/व्यापारिक क्षमता के ब्यौरे		
(i)	फायदाग्राही-1	(%)	
(ii)	फायदाग्राही-2	(%)	
(iii)	....	(%)	
(iv)	....	(%)	
8	सहबद्ध पारेषण प्रणाली या प्रस्तावित निष्क्रमण व्यवस्था		
9	विनिर्माता का नाम		
(i)	गैस टर्बाइन		
(ii)	स्टीम टर्बाइन		
(iii)	हीट रिकवरी स्टीम (एचआरएसजी)		
(iv)	जनरेटर		
10	मुख्य ईंधन तथा स्रोत		.... देशी/आयातित
(i)	लिंक्ड खान		
(ii)	परिवहन की पद्धति		रेल/सड़क/समुद्र/रेल-सह-समुद्र/ पाइप लाइन
11	प्रयुक्त ईंधन/प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन का कुल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी)	केसीएएल/ एससीएम या केसीएएल/लिटर	
12	i) वैकल्पिक ईंधन (विनिर्दिष्ट करें)		

	ii) वैकल्पिक ईंधन का कुल क्लोरिफिक मूल्य	केसीएएल/ एससीएम या केसीएएल/लिटर	
13	इनलैट से गैस टर्बाइन तक रेटित गैस दबाव	कि.ग्रा./सेमी2 (एबीएस)	
14	इनलेट से गैस टर्बाइन तक रेटित तापमान	सेंटीग्रेट	
15	इनलेट से टर्बाइन तक रेटित स्टीम दवाब	कि.ग्रा./सेमी2 (एबीएस)	
16	इनलेट से स्टीम टर्बाइन तक रेटित स्टीम तापमान	सेंटीग्रेट	
17	शीतलन जल का स्रोत		
18	प्रयुक्त जल शीतलन साइकल का प्रकार		एक बार थ्रो/ बंद साइकल
19	शीतलन ट्रावर का प्रकार		प्राकृतिक ड्राफ्ट या प्रवृत्त ड्राफ्ट
20	गारंटीकृत कुल स्टेशन हीट दर		
(i)	संयुक्त साइकल पद्धति	(केसीएएल/ केडब्ल्यूएच)	
(ii)	ओपन साइकल पद्धति	(केसीएएल/ केडब्ल्यूएच)	
21	गारंटीकृत कुल स्टेशन हीट दर के लिए अभिदेश स्थिति		
(i)	मेक अप	%	
(ii)	एमसीआर	%	
(iii)	डिजाइन इनलेट शीतलन जल तापमान	सेंटीग्रेट	
(iv)	एंविएंट वायु तापमान	सेंटीग्रेट	
(v)	एंबिएंट वायु दबाव	(केजी/सेमी2)	
(vi)	अपेक्षित आर्द्रता	%	
22	विनिर्दिष्ट स्थल एंबिएंट वायु स्थिति		
(i)	तापमान	सेंटीग्रेट	
(ii)	दबाव	(केजी/सेमी2)	
(iii)	आर्द्रता	%	

टिप्पण :

क	उत्पादन केंद्र, अर्थात् एफजीडी आदि की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी या कोई स्थल विनिर्दिष्ट जानकारी भी दी जा सकेगी ।
ख	"फायदाग्राही" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
ग	"संस्थापित क्षमता" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
घ	"व्यापारिक क्षमता" से बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो दीर्घ-कालिक ऊर्जा प्रदाय करार के माध्यम से बेची गई ऊर्जा से भिन्न हो ।
ङ	"लक्ष्य फायदाग्राही" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसकी उत्पादन कंपनी के साथ दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार किए जाने की संभावना हो ।
च	उपरोक्त ब्यौरों की साफ्ट प्रति (इलैक्ट्रानिक प्ररुप में) भी दी जाएगी ।

प्ररुप - ग

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुपालन में उत्पादन कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले तकनीकी ब्यौरे

हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र

1	उत्पादन कंपनी का नाम तथा पता		
2	उत्पादन केंद्र का नाम		
3	उत्पादन केंद्र का अवस्थान (जिला तथा राज्य)		
4	प्रकार		नदी से चलने वाला/तालाब
5	विद्यमान/निष्पादनाधीन परियोजना की संस्थापित क्षमता तथा संरुपण (यूनिटों की संख्या /मेगावाट)		
(i)	यूनिट-1	मेगावाट	
(ii)	यूनिट -2	मेगावाट	
(iii)	....	मेगावाट	
(iv)	....	मेगावाट	
6	वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख यूनिटवार :		दिन/मास/वर्ष

(i)	यूनिट-1		
(ii)	यूनिट-2		
(iii)	....		
(iv)	....		
7	प्रत्येक फायदाग्राही/प्रवर्ग के लिए संस्थापित क्षमता के प्रति निर्देश से प्रतिशतता अंश के साथ सहबद्ध फायदाग्राहियों/लक्ष्य फायदाग्राहियों/मर्चेंट क्षमता के ब्यौरे		
(i)	फायदाग्राही-1	(%)	
(ii)	फायदाग्राही-2	(%)	
(iii)	....	(%)	
(iv)	....	(%)	
8	सहबद्ध पारेषण प्रणाली या प्रस्तावित निष्क्रमण व्यवस्था		
9	विनिर्माता का नाम		
(i)	टर्बाइन (फ्रैंचाइज/कप्लान/पैल्टान)		
(ii)	जनरेटर		
10	डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	(एमयू)	
11	औसत हीट	(एम)	
12	रेटित हीट	(एम)	
13	पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल)	(एम)	
15	पूर्ण जलाशय स्तर तथा न्यूनतम ड्रा-डाउन स्तर के बीच विभिन्न स्तरों पर मशीन आउटपुट में फेरफार	मेगावाट	
16	डिस्टलिंग चैम्बर के लिए डिजाइन सिल्ट स्तर		
(i)	इंलेट पर अधिकतम	(पीपीएम)	
(ii)	आउटलेट पर अधिकतम	(पीपीएम)	
17	प्रत्याशित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन	(एमयू)	
18	टर्बाइन की डिजाइन गारंटीकृत दक्षता		

टिप्पण :

क	हाइड्रो केंद्र की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी या कोई स्थल विनिर्दिष्ट जानकारी भी दी जाए ।
ख	"फायदाग्राही" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
ग	"डिजाइन ऊर्जा" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
घ	"संस्थापित क्षमता" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।
ङ	"व्यापारिक क्षमता" से बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो दीर्घ-कालिक ऊर्जा प्रदाय करार के माध्यम से बेची गई ऊर्जा से भिन्न हो ।
च	"लक्ष्य फायदाग्राही" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसकी उत्पादन कंपनी के साथ दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार किए जाने की संभावना हो ।
छ	उपरोक्त ब्यौरों की साफ्ट प्रति (इलैक्ट्रानिक प्ररुप में) भी दी जाएगी ।